(50)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3858-पीबीआर/2015 विरूद्ध आदेश दिनांक 28-05-2015 पारित द्वारा आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल, प्रकरण क्रमांक 25/2014-15/अपील ।

1-साबिरा बी पत्नी अमीर अली (मृतका)

वैध वारिसान

(1) अनबार अली आत्मज अमीर अली

(2) अबरार आत्मज अमीर अली

(3) इकबाल आत्मज अमीर अली

(4) इसरार आत्मज अमीर अली

निवासीगण म0नं.48 गली नं.4 बाग उमराव दुल्हा,भोपाल

2-श्रीमती सबीना बाना उर्फ सुक्को पुत्री रहीम खॉ

पत्नी मो0लतीफ निवासी म.नं.24 गली नं.2,

बड़वाली मस्जिद के पास जहॉगीराबाद भोपाल

3-श्रीमती नूरजहॉ पुत्री रहीम खा पत्नी स्व0मोहम्मद खॉ

निवासी मकान नं. 38 गली नं. पथ क्रमांक 1 अमरपुरा उज्जैन

4-श्रीमती परवीन बी पुत्री रहीम खॉ पत्नी बाबू खां मंसूरी

निवासी मकान नं. 55 बेस्ट दरवाजा काजी कुंआ के पास

विदिशा म0प्र0

.....आवेदकगण

विरूद्ध

1-नसीम मसीह आत्मज कदीर मसीह

निवासी वार्ड नम्बर 4 कलेक्ट्रेक्ट कॉलोनी रायसेन

2-मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर जिला रायसेन

.....अनावेदकगण

श्री राघवेन्द्र श्रीवास्तव, अभिभाषक-आवेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 8/8/18 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 28-05-2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदकगण द्वारा दिनांक 19-12-2011 को संहिता की धारा 109-110 के अन्तर्गत तहसीलदार रायसेन जिला रायसेन के समक्ष इस आशय का का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया कि ग्राम नबावपुर में स्थित खसरा क्रमांक 38 रकबा 7.52 एकड़ अपीलार्थीगण के पिता स्व0 रहीम खॉ के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज थी । रहीम खा की मृत्यु के बाद प्रश्नाधीन भूमि आवेदकगण की मॉ तथा अनावेदक क्रमांक 1 के पिता के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज की गई । आवेदिका क्रमांक 1 एवं अनावेदक क्रमांक 1 पिता की मृत्यु के बाद अनावेदक क्रमांक 1 अपने नाम फौती नामान्तरण करा लिया । आवेदकगण ने प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में स्वत्व घोषणा बंटवारा एवं आधिपत्य संबंधी व्यवहारवाद प्रस्तुत किया । व्यवहार वाद के निर्णय के पालन में विचारण न्यायालय से प्रश्नाधीन भूमि का विभाजन व नामान्तरण कर आधिपत्य दिलाये जाने का अनुरोध किया गया । तहसीलदार द्वारा प्रकरण दर्ज कर दिनांक 29-2-12 को अपीलार्थी के पक्ष में नामान्तरण आदेश पारित किया गया। तहसीलदार के आदेशके विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 23-9-2014 को आदेश पारित अपील स्वीकार की गई है। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर आयुक्त द्वारा दिनांक 28-05-2015 को आदेश पारित कर अपील अस्वीकार की गई । आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा इस बिन्दुपर विचार नहीं किया गया कि राजस्व न्यायालय व्यवहार न्यायालय द्वारा पारित डिक्री के निर्णय का पालन करने केलिये बाध्य है क्योंकि जब

आवेदकगण के पक्ष में स्वत्व की घोषणा की जा चुकी है तब अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अवैधानिक होने से निरस्त किये जाने योग्य है । यह भी कहा गया कि अपीलीय न्यायालय द्वारा जो वाद विषय बनाये गये हैं उसमें इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया है कि आवेदन मुख्य रूप से नामान्तरण हेतु दिया गया था । इस बिन्दु पर दोनों अपीलीय न्यायालयों द्वारा ध्यान नहीं दिया जाकर आदेश पारित किया गया है । उनके द्वारा तहसील न्यायालय का आदेश स्थिर रखा जाकर दोनों अपीलीय न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा प्रस्तुत लिखित तर्क में मुख्य रूप से यही कहा गया कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालयों द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखे जाकर निगरानी निरस्त की जाये ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदकपक्ष के हक में सिविल न्यायालय की दिनांक 28-8-2011 की डिक्री है । तहसील न्यायालय ने उसी आधार पर बंटवारा किया है । बंटवारे की कार्यवाही स्वत्व पर होती है और व्यवहार न्यायालय से स्वत्व का निर्णय होने पर तहसील न्यायालय बंटवारा कर सकता है उसके लिये धारा 54 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत उसे कलेक्टर के निर्देशों का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तहसील न्यायालय को संहिता में बंटवारा करने का अधिकार प्राप्त है । अत: तहसील न्यायालय द्वारा की गई कार्यवाही वैधानिक एवं उचित है जिसे अनुविभागीय अधिकारी निरस्त करने में अवैधानिक एवं अन्यायपूर्ण कार्यवाही की गई है और अनुविभागीय अधिकारी के अवैधानिक आदेश की पुष्टि करने में आयुक्त द्वारा भी त्रुटि की गई है इसलिये अनुविभागीय अधिकारी एवं आयुक्त द्वारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 28-05-2015 तथा अनुविभागीय अधिकारी रायसेन द्वारा पारित आदेश दिनांक 23-9-2014 निरस्त किये जाते हैं एवं तहसीलदार रायसेन द्वारा पारित आदेश दिनांक 29-2-2012 स्थिर रखा जाता है । निगरानी स्वीकार की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर